राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2294/2015/श्रीगंगानगर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रेम एन्टरप्राईजेज, पद्मपुर, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक व श्री विनीत पारीक,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 179/आरवेट/श्रीगंगानगर/2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये आदेश दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.05.2014 को श्रीगंगानगर में बंसल धर्मकांटा के समीप वाहन संख्या आर.जे.13/जीए–4691 की जांच की गयी थी। जांच में वाहन में सरसों परिवहनित किया जाना पाया गया। वह माल पदमपुर से श्रीगंगानगर हेतु लाया गया था, जिसमें वक्त जांच वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल सरसों की बिल्टी, लैटरपेड पर लिखी हुई माल की विगत, धर्मकांटा की पर्ची, कृषि उपज मण्डी समिति की पर्ची आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु माल का बिल पेश नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी द्वारा बिल पेश नहीं होने के आधार पर वाहन रोककर अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब में कर निर्धारण अधिकारी को यह बताया गया था कि वह माल National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) के गोदाम में स्टोरेज हेतु जा रहा था तथा माल के

लगातार.....2

अनुसार ही दस्तावेज थे जो वाहन चालक ने पेश कर दिये थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह भी बता दिया गया था कि यह माल मैसर्स प्रेमचन्द संदीप कुमार पदमपुर के वेट इन्वॉयस संख्या 892 दिनांक 07.05.2014 के जरिये खरीद किया गया है जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया हुआ है, उस बिल का इंद्राज भी प्रत्यर्थी की बहियात में किया हुआ है अतः खरीद वैध होने के कारण किसी भी तरह का अपराध नहीं होने से माल को छोड़े जाने का निवेदन किया गया। यह भी बताया गया था कि वह माल धर्मकांटा से तुलवाकर NCDEX के वेयरहाउस में रखने के लिये भेजा गया था तथा पूर्व में भी प्रत्यर्थी का माल वेयरहाउस में रखे जाने का तथ्य भी बता दिया गया था जिसमें वेयरहाउस की रसीदें भी प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लैटरपेड में वर्णित Destination एवं चालान पेश नहीं होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया तथा कथन किया कि वक्त जांच माल का बिल साथ नहीं था एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में आपस में मिलान नहीं हो रहा था, अतः शास्ति का आरोपण उचित होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल विक्रय के लिये नहीं जाकर स्वयं के खरीद किये हुए माल को NCDEX के गोदाम में भिजवाया था जिसके लिये किसी बिल की आवश्यकता नहीं थी। केवल बिल्टी एवं चालान के जरिये माल भेजा गया था, जिसके अन्दर समस्त घोषणायें सुस्पष्ट रूप से अंकित की गयी थी, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पदमपुर से माल खरीदकर उस माल का इंद्राज अपनी लेखा–पुस्तकों में करने के पचात् उसे NCDEX के वेयरहाउस में स्टोर करने हेतु वाहन द्वारा भेजा गया था। वक्त जांच बिल्टी, प्रत्यर्थी का लैटरपेड, कृषि उपज मण्डी समिति पदमपुर की पर्ची भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माल पदमपुर से श्रीगंगानगर जाना घोषित

लगातार.....3

किया हुआ था एवं व्यवसायी द्वारा सुनवाई के समय समस्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिये गये थे कि यह माल मैसर्स प्रेमचंद संदीप कुमार पदमपुर के वैट इन्वॉयस संख्या 892 दिनांक 07.05.2014 से खरीद किया हुआ है एवं उस माल को सीधे NCDEX के गोदाम में धर्मकांटा पर तुलवाने के बाद भिजवाया गया था। ऐसी स्थिति में खरीदशुदा माल जिसका परिवहन व्यवहारी द्वारा NCDEX के गोदाम में रखने हेतु किया था उसके बिल, बिल्टी प्रस्तुत कर दिये थे, इसके अलावा प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल की कोई जांच नहीं की गई, न ही कर चोरी की मंशा को प्रमाणित किया है बल्कि एक स्थानीय मण्डी से दूसरी मण्डी के लिये खरीद किये गये माल को वेयरहाउस में स्टोर करने के लिये भेजा गया था। ऐसी स्थिति में बिना किसी उचित कारण के ही शास्ति का आरोपण किया है वह पूर्णतया विधि एवं न्याय के विरूद्ध है, क्योंकि माल की जांच पर माल की खरीद बिल से होना एवं पूर्ण घोषणा के साथ स्टोरेज हेतु भेजना प्रमाणित था, फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 21.074.2015 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य